HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12438/2026
CNR: RJHC020760242026 | URN: CRLMB / 22953U / 2026

1. Omprakash @ Prem S/o Sh. Shivlal, Aged About 40 Years, R/o Khirkhadi, Police Station Todabim, District Karauli (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Jaipur)
2. Aniket S/o Prakash Chand, Aged About 23 Years, R/o Bhanokar, Police Station Baitukalan, District Alwar At Present Prakash Marg, Khedli, Police Station Khedli, District Alwar (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Jaipur)

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ajay Pal Meena
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Nikhilesh Katara

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

10/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **मालवीय नगर जयपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **142/2025** अपराध अंतर्गत धारा 419, 420, 406, 467, 468, 471, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 308(2), 308(5), 333, 351(2) भारतीय न्याय संहिता में **जमानत** का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण दिनांक 14.07.2026 से अभिरक्षा में हैं।

प्रकरण में परिवादी राहुल के साथ उनका समझौता हो गया है। आरोप–पत्र भी पेश हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण ने परिवादी को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का प्रलोभन देकर पैंतीस लाख रूपयों की राशि प्राप्त की है। उक्त राशि के संव्यवहार का होने का अभिलेख भी उपलब्ध है। उनका तर्क है कि उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान फर्जी मेडिकल भी करवाया है और नियुक्ति पत्र भी जारी किया है। प्रकरण में अभी कई सहअभियुक्तगण गिरफ्तार होना शेष है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर धारा 419, 420, 406, 467, 468, 471, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 308(2), 308(5), 333, 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी को एफसीआई में नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर लगभग 35 लाख रूपये की राशि ठगी करने के गम्भीर प्रकृति के अभियोग हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान फर्जी मेडिकल करवाया जाकर नियुक्ति पत्र भी जारी करवाने का तथ्य सामने आया है। प्रार्थीगण द्वारा सोचे समझे ढंग से अपराध कारित किया जाना दर्शित है। प्रार्थीगण के विरूद्ध अनुसंधान धारा 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत लम्बित रखा गया है। प्राथी ओमप्रकाश के विरूद्ध पूर्व के इसी प्रकृति के दो तथा प्रार्थी/अभियुक्त अनिकेत के विरूद्ध इसी प्रकृति का पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण दर्ज होना केस डायरी से परिलक्षित होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रक्रम पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

52/AJAY KUMAR SINGHAL